राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

रा.आ.बैंक (न.दि.)/रा.भा/ / 2019
दिनांक: 22/08/2019

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, भारतीय रिजर्व बैंक एवं
पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां, राज्य आवास बोर्ड, अर्बन डवलपमेंट ट्रस्ट (यूटीआई) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, नरेडको एवं क्रेडाई आदि

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका 'आवास भारती 2019 विशेषांक' के लिए निबंध/आलेख भेजने हेतु निवेदन

जैसा कि आपको विदित हो कि भारत में आवास की कमी को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की आधारशिला रखी जिसके तहत उनका सपना है कि जब राष्ट्र वर्ष 2022 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो तो देश के सभी नागरिकों के पास अपना घर हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक मिशन ''वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास'' की शुरूआत की और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए है। इस मिशन के चार घटक निम्न हैं:

1. भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम पुनर्वास
2. ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन
3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी

यह मिशन दिनांक 17.06.2015 से लागू हो गया है और इसको 31.03.2022 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

इसी क्रम में आपको सूचित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक पूर्व परंपरा के अनुसार अपनी गृह पत्रिका ''आवास भारती'' का विशेषांक 2019 प्रकाशित करने जा रहा है। पत्रिका का अनावरण विश्व पर्यावास दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, भारतीय रिजर्व बैंक एवं पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां, राज्य आवास बोर्ड, अर्बन डवलपमेंट ट्रस्ट (यूटीआई) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, नरेडको एवं क्रेडाई के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अपनी रुचि अनुसार दिए गए विषयों में से किसी एक का चयन कर सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए साधारण बोलचाल की भाषा में लेख लिखकर प्रेषित करें जिसे अधिक से अधिक पाठकगण पढ़ने और समझने में रुचि ले सकें।

विषय निम्न प्रकार से हैं:

I
1. अपशिष्ट प्रबंधन से रोजगार की संभावनाएं एवं आय के स्रोत
2. देश में किराया आवास नीति एवं इसके सकारात्मक पहलू
3. मलिन बस्तियों का पुनर्विकास
4. आवास क्षेत्र में धोखाधड़ी से बचने के उपाय
5. प्रधानमंत्री आवास योजना से सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव

II
1. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) 2. शहरों में बढ़ते अपशिष्ट के निपटान की नई तकनीकियां 3. प्लास्टिक का प्रयोग: बढ़ता पर्यावरणीय खतरा 4. किफायती आवास बढ़ती संभावनाएँ 5. घरेलू स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय

नोट: ऊपर दिए गए दस विषयों में से अधिकारी/ कर्मचारी किसी एक विषय पर लेख दे सकते हैं।

अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

- दिनांक **12/09/2019** तक प्राप्त लेखों में से चयनित लेखों को विशेषांक में शामिल किया जाएगा;
- संगठनों के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं;
- सभी लेखकों को विशेषांक की प्रति भेजी जाएगी;
- चयनित लेखों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लेखकों को क्रमश: **10,000/- रू., 8,000/- रू. व 7,000/-** रु. की राशि प्रदान की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकाशित लेख हेतु लेखकों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर **2,000/- रू.** की राशि दी जाएगी;
- **लेख अनिवार्य रूप से यूनिकोड/कृतिदेव फोंट आदि में टाइप किया हो तथा 1000 से 2000 शब्दों तक सीमित हो। लेख हिंदी में ही टाइप किए गए हों। टाइप किए हुए लेख ही स्वीकृत किए जाएंगे, अन्य किसी प्रकार से भेजे गए लेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।** मौलिकता का प्रमाणपत्र, लेखक का परिचय एवं स्पष्ट फोटो लेख के साथ इस पत्र के साथ संलग्न फॉर्म में भरकर राष्ट्रीय आवास बैंक के राजभाषा विभाग को shobhit.tripathi@nhb.org.in पर भेजें। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु श्री शोभित त्रिपाठी, राजभाषा अधिकारी को 09205132563 पर संपर्क किया जा सकता है।
- प्रतियोगिता के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने प्रधान/आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधिक से अधिक लेख लिखने हेतु प्रेरित करें।

इस सहयोग के लिए हम आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय,

(रंजन कुमार बरून)
उप महाप्रबंधक

सलंग्न- 1. घोषणापत्र फॉर्म
2. ईसीएस प्रपत्र